तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **सिद्धराजसिंह बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी बाप)** सू.अ.अ. अपील संख्या : 46/2022	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30-05-2022	अपीलार्थी सिद्धराजसिंह पुत्र रतनाराम गोदारा, पता ग्राम राणेरी तहसील बाप जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 30.12.2021 में उसके द्वारा (1) एस.बी. सिविल रिट याचिका सं0 15190/2021 के संबंध में कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर फलोदी के प्रेषित पत्र कमांक एडीएम/कोर्ट/20212039–40 दिनांक 11.11.2021 की कमशः उपखण्ड अधिकारी बाप एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी बाप को निर्देशित आदेश के सन्दर्भ में आपके द्वारा निस्तारण कब किया गया, उस सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी बाप) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी बाप) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी बाप) से जरिये पत्रांक 3860 दिनांक 29.03.2022 रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिर्पोर्ट में बतलाया कि आवेकदक सिद्धराज गोदारा को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत चाही गई सूचना कार्यालय हाजा के पत्रांक/3383 दिनांक 10.01.2022 के द्वारा प्रेषित कर दी गई। चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी/प्रार्थी को जरिये पत्र 3383 दिनांक 10.01.22 के द्वारा [illegible] जा चुकी है तथा दी गई सूचना का उक्त पत्र की फोटो प्रति भी [illegible] है। अतः अपील अपीलार्थी पोषणीय नहीं होने से निरस्त की जाती है। [illegible] अधिकारी बाप से [illegible] प्रति की फोटो प्रति इस आदेश की प्रति के साथ स[illegible]ार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.24 18:08:25 IST
Reason: SelfAttested